PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

Paper No- II **Paper Name- CRPC** **Unit-1**

प्रश्न - भरण -: पोषण की मांग कौन कर सकता है पत्नी अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की कब हक़दार ? नही होती है? भरण पोषण हेतु किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही कहा की जा सकती है ?

Who can claim maintenance? When a wife is not entitted to receive an allowance from her husband? Where can proceding to taken against a person for maintenance?

उत्तर -: धारा .125-पत्नी, सन्तान और मातायदि पर्याप्त साधनों (1) -पोषण के लिए आदेश-पिता के भरण-वाला कोई व्यक्ति

अपनी पत्नी का (क) , जो अपना भरणपोषण- करने में असमर्थ है, या

अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क सन्तान का चाहे विवाहित हो या न हो (ख) , जो अपना भरणपोषण करने - में असमर्थ है, या

(जो विवाहित पुत्री नहीं है) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (ग) , जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ - है, या

अपने पिता या माता का (घ) , जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है-,

भरणपोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण-, ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए- ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समयसमय पर- निदेश दे : परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निदेश दे सकता है कि वह उस समय तक (ख) ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है।

पोषण के लिए मासिक भत्ते से सम्बन्धित कार्यवाही के -परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन भरण] दौरान मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी सन्तान, पिता या माता के अन्तरिम भरण पोषण और ऐसी कार्यवाहियों के लिए खर्चे की-ऐसी राशि दें जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे और उस राशि का संदाय ऐसे व्यक्ति को करें जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय: समय पर निदेश दे-

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए -

(क)'अवयस्कसे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम ", (9 का 1875) 1875 के उपबन्धों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है;

(ख)"पत्नीविच्छेद कर लिया है या जिसने अपने -के अन्तर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह " विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।-पति से विवाह

पोषण के लि-भरण (2) ए ऐसा भत्ता या कार्यवाहियों का खर्च आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरणपोषण और कार्यवाहियों के खर्चे के लिए आवेदन की तारीख से-पोषण या अन्तरिम भरण-, संदेय होगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

मोहम्मद अहमद खाँ बनाम शाहबानो बेगम के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के प्रावधान सभी धर्मावलंबियों के प्रति एक समान लागू होंगे 125, अतः मुस्लिम महिला भी इस धारा के अधीन अपने पति से भरणपोषण की मांग कर सकती है। तथापि भारत की संसद ने - में मुस 1986 सन््लिम महिला अधिनियम (तलाक के पश्चात् अधिकारों का संरक्षण), 1986 पारित किया है जिसके अन्तर्गत तलाक की स्थिति में मुस्लिम महिला को अन्य उपचार उपलब्ध हैं तथा उसे इस संहिता की धारा के अन्तर्गत उपचार तभी उपलब्ध हो सकेगा यदि इस हेतु उसके पति ने अपनी सहमति दी 125हो। पति की सहमति के अभाव में परित्यक्त मुस्लिम पत्नी को इस धारा के अधीन भरणपोषण का उपचार प्राप्त नहीं - अधिनियम (विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण-विवाह) हो सकेगा। अतः मुस्लिम स्त्री, पारित हो जाने के 1986 पोषण सम्बन-परिणामस्वरूप तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण्धी पति का दायित्व केवल इद्दत की अवधि तक ही सीमित रहता है और तत्पश्चात् यह उक्त महिला के मातापिता या उसके परिवार के सदस्यों पर होता - है तथा इनके किसी के न होने पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर होगा।

पत्नी को जारता की दशा में होनापोषण की धनराशि की मांग क-यदि भरण - रने वाली स्त्री उक्त मांग के समय जारकर्म में रत है, तो उक्त दशा में वह भरणपोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी-

धारा 126 प्रकिया - किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा 125 सकती है

जहाँ वह है अथवा

जहाँ वह या उसकी पत्नी निवास करती है अथवा ,

जहाँ उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया , यथास्थिति , है

ऐसी कार्यवा (2)

में सब साक्ष्य, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, अथवा जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है तब उसके प्लीडर का उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समनमामलों के लिए विहित है।-

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण-के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, तामील से जानबूझकर बच रहा है अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट मामले को एकपक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सकता है और ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से तीन मास के अन्दर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबन्धनों के अधीन जिसके अन्तर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझें, अपास्त किया जा सकता है।

के अधीन आवेदनों पर कार्यव 125 धारा (3)ाही करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्यायसंगत है।

प्रश्न 2-गिरफ़्तारी सम्बन्धी उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए | जहाँ पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ़्तारी के वारंट बिना गिरफ्तार कर सकती है |

पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगीकोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और (1) - वारण्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है

जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता (क) है;

(खजिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है (, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी। या जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् -

) i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, जानकारी या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

)ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिये आवश्यक है (क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने; या

अपराध के समुचित अन्वेषण के लिये (ख) ; या

ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ (ग) करने से निवारित करने; याऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ

घ, जो मामले के तथ्यों से परिचित हैं, कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने से निवारित करने, जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके; या

जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता (ङ) , तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती और

तो पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा,

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

परन्तु उन सभी मामलों में जहाँ इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।[

ख) क जिसके विरुद् (ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, अथवा[

जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है (ग) , अथवा

जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पायी जाती है जिसके चुराई हुई सम्पत्ति होने का उचित रूप से सन्देह (घ) किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से सन्देह किया जा सकता है, अथवा

जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुँचाता है जब वह अप (ङ) ना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, अथवा

जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित सन्देह है (च) , अथवा

जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने जो यदि (छ)भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण सम्बन्धी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, सम्बद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित सन्देह विद्यमान है कि वह ऐसे सम्बद्ध रह चुका है, अथवा

के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग (5) की उपधारा 356 जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा (ज) करता है, अथवा

जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलि (झ) स अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परन्तु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 42 धारा (2)], ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी असंज्ञेय अपराध से सम्बद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके ऐसे सम्बद्ध रहने के सम्बन्ध में युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW